

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/बीमा/2026

जयपुर, दिनांक 30/09/26

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2024 में सफल घोषित किये जाने पर एवं आयोग की अनुशंषानुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग की अशा. टीप क्रमांक प.9(66)कार्मिक/क-4/2/2026/33564 दिनांक 30.09.2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 22, 24बी, एवं 30 के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्वारा निम्न शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि प्रशासनिक विभाग में रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी:-

| SNO | MERIT NO | ROLL NO | NAME           | BIRTH DATE | CATEGORY | QUOTA    |
|-----|----------|---------|----------------|------------|----------|----------|
| 1.  | 322      | 1014703 | AVI MISHRA     | 07-06-2000 | GE,WE    | GM-AG    |
| 2.  | 380      | 1007061 | MEGHA SHARMA   | 17-01-1988 | GE,WE,NG | GM-AG,NG |
| 3.  | 2354     | 1017925 | PRATIBHA MEENA | 02-01-1993 | ST,WE,WD | TF-WD    |

- उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule iv/ Rules no 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। उक्त नियुक्ति आदेश सेवा आवंटन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2024 के संबंध में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यधीन रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होगा।
- उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
- उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेंगी।

9. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करेंगे।
12. अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा प्रशिक्षण के समय उपलब्ध होगी।
13. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की वेबसाइट [www.hcmripa.gov.in](http://www.hcmripa.gov.in) पर उपलब्ध है।
14. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन अटेस्टेशन फार्म में अंकित वर्तमान पते, गृह जिले एवं पिछले 5 वर्षों में ठहराव वाले स्थानों से करवाये गये हैं। प्राप्त चरित्र सत्यापन के अतिरिक्त शेष जिलों एवं अटेस्टेशन फार्म में अंकित शेष स्थानों से प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन होगी।
15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत Self declaration अथवा शपथ पत्र के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसी अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जायेगी।
16. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है और जिनके द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना इस हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित अवधि के दौरान प्रस्तुत करनी होगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चात्वर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई की माना जायेगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी उक्त आज्ञा जारी होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
18. उक्त अभ्यर्थियों को उक्त सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम एचसीएम रीपा जयपुर द्वारा निष्पन्न किये जाने के उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा अतः उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से सात दिवस में वित्त (बीमा) विभाग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्धारित कोर्स उत्तीर्ण कर लिया गया है ऐसे सभी अभ्यर्थी सीधे ही निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि उनके प्रशासनिक विभाग में उपस्थिति देने की दिनांक अथवा विभाग में कार्यग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
19. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20 उक्त सेवा आवंटन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9227/25, 6956/26, 6021/26, 8011/26, 6600/26, 6381/26, 6454/26, 4054/25, 7925/26, 9386/26 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(धनलाल शेरवत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
7. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.9(66)कार्मिक/क-4/2/2026/33564 दिनांक 30.09.2026 के क्रम में।
12. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त अभ्यर्थीगणों को अवगत कराने बाबत।
19. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. श्री करण सिंह चारण, संयुक्त निदेशक (संस्थापन) मुख्यालय जयपुर (नोडल अधिकारी)  
मोबाईल न. मोबाईल न. 8890287674
21. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

30/9/26

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/बीमा/2026

जयपुर, दिनांक 30/09/26

राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा  
संवर्ग में चयनित समस्त 03 अभ्यर्थीगण (सूची संलग्न)

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा वर्ष 2024 में सफल घोषित किये जाने एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंगानुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प. 9(66)कार्मिक/क-4/2/2026/33564 दिनांक 30.09.2026 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा में चयनित सभी अभ्यर्थीगणों को सूचित किया जाता है कि तालिका में अंकित दस्तावेजों के साथ दिनांक 01.10.2026 को वित्त (बीमा) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर में आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें:-

| क्र.स. | दस्तावेजों का विवरण                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | पासपोर्ट साईज फोटो की 10 प्रतियां मय स्टाम्प साईज फोटो की 10 प्रतियां                                                                            |
| 2.     | बैंक अकाउन्ट का विवरण (बचत खाता संख्या, ब्रांच, आईएफएससी कोड, कैंसिल चैक                                                                         |
| 3.     | पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति                                                                                                                |
| 4.     | आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति                                                         |
| 5.     | सेवा आवंटन के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति                                           |
| 6.     | जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)                                                                                                 |
| 7.     | विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति) यदि विवाहित है।                                                                             |
| 8.     | मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)                                                                           |
| 9.     | आपराधिक प्रकरणों के संबंध में Self declaration अथवा शपथ पत्र                                                                                     |
| 10.    | वैवाहित होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना                                                                                          |
| 11.    | गुटखा एवं धूमपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र                                                                                           |
| 12.    | जन आधार कोर्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।                                                                                                          |
| 13.    | कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र                                                                                                                |
| 14.    | नियुक्ति आदेश की प्रति।                                                                                                                          |
| 15.    | प्रशिक्षण सत्रों हेतु औपचारिक वेशभूषा -पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए पेंट और व्हाइट शर्ट एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए हल्के रंग की साड़ी। |

आज्ञा से

(धनलाल शेरवत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, प्रशिक्षण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त / शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि विभागीय संबंधित अधिकारी श्री करण सिंह चारण, संयुक्त निदेशक एवं श्री इन्द्र कुमार भानू संयुक्त निदेशक को दिनांक 01.10.2026 को प्रातः 9.30 बजे से सात दिवस के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु वित्त (बीमा) विभाग शासन सचिवालय जयपुर में भिजवाना तथा दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट तत्काल इस विभाग को व्यक्तिशः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री करण सिंह चारण, संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग राजस्थान जयपुर/श्री इन्द्र कुमार भानू संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

30/9/26

सेवा में,

श्रीमान् शासन सचिव,  
वित्त (व्यय) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:—राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2024 में चयनित राज्य  
बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण पर उपस्थिति दिनांक —————  
की स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी का चयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा संवर्ग में होने के  
फलस्वरूप वित्त (बीमा) विभाग में दिनांक ————— से उपस्थिति प्रस्तुत कर आज दिनांक की स्थिति  
में प्रार्थी की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:—

| क्र.स. | चाही गई सूचना                                                                                             | विवरण |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.     | प्रशिक्षु अधिकारी का नाम<br>(हिन्दी/अंग्रेजी में)                                                         |       |
| 2.     | पिता का नाम<br>(हिन्दी/अंग्रेजी में)                                                                      |       |
| 3.     | जन्म तिथि                                                                                                 |       |
| 4.     | लिंग                                                                                                      |       |
| 5.     | वर्ग                                                                                                      |       |
| 6.     | गृह जिला                                                                                                  |       |
| 7.     | राजकीय सेवा में होने पर कर्मचारी आईडी<br>(एम्पलॉय आईडी) एवं प्रथम नियुक्ति<br>दिनांक                      |       |
| 8.     | दूरभाष नम्बर                                                                                              |       |
| 9.     | ई-मेल आईडी                                                                                                |       |
| 10.    | स्थायी पता                                                                                                |       |
| 11.    | वर्तमान पता                                                                                               |       |
| 12.    | मूल निवास स्थान                                                                                           |       |
| 13.    | मोबाईल न.                                                                                                 |       |
| 14.    | आपातकालीन मोबाईल न.                                                                                       |       |
| 15.    | संतानों की सूचना का विवरण                                                                                 |       |
| 16.    | अन्तिम शैक्षणिक योग्यता                                                                                   |       |
| 17.    | विवाहित अथवा अविवाहित                                                                                     |       |
| 18.    | वर्तमान स्थिति में विभागीय<br>जांच/एफआईआर/न्यायालय में<br>विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सूचना का<br>विवरण |       |

हस्ताक्षर मय दिनांक

—: घोषणा पत्र :-

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी श्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2024 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा में हुआ है। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-

4. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या \_\_\_\_\_ थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.स. | नाम | जन्म तिथि |
|--------|-----|-----------|
| 1      |     |           |
| 2      |     |           |
| 3      |     |           |

5. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या \_\_\_\_\_ है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.स. | नाम | जन्म तिथि |
|--------|-----|-----------|
| 1      |     |           |
| 2      |     |           |
| 3      |     |           |

6. यह कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता/करती हूँ।

घोषणाकर्ता